भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2214

जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के लिए विशेष न्यायालय

2214. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी :

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायलू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार की देश भर में बैंक संबंधी धोखाधड़ी के मामलों की त्वरित सुनवाई और निपटान के लिए समर्पित विशेष न्यायालय स्थापित करने की योजना है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे न्यायालयों में सुनवाई हेतु आने वाले मामलों के लिए प्रस्तावित ढांचे, अधिकार क्षेत्र और मौद्रिक सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने बैंक संबंधी धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए ऐसे विशेष या फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना हेतु विशिष्ट राज्यों या जिलों विशेष की पहचान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इन न्यायालयों के कार्यशील ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित मंत्रालयों, भारतीय रिजर्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ परामर्श किया गया है ;

(ङ) प्रस्ताव के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और समय-सीमा क्या है ; और

(च) क्या देश में बैंक संबंधी धोखाधड़ी के बड़े मामलों के लंबित रहने और उनके न्याय निर्णयन में लगने वाले औसत समय के संबंध में कोई आकलन किया गया है और ऐसे लंबित मामलों को कम करने के संबंध में प्रस्तावित विशेष न्यायालयों से क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : देश के किसी भी भाग में बैंक धोखाधड़ी संबंधी मामलों के शीघ्र विचारण एवं निपटान हेतु समर्पित विशेष न्यायालयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव वर्तमान में भारत सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा सूचित किये जाने के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 में केवल बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना को अनिवार्य करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही, वित्तीय सेवा विभाग ने बैंक धोखाधड़ी संबंधी प्रावधानों वाले अधिनियमों का प्रशासन करने वाले मंत्रालयों / विभागों से परामर्श उपरांत सूचित किया है कि उक्त अधिनियमों में बैंक धोखाधड़ी मामलों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

****